



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 27.11.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 29.10.23 को थाना बडौत पर वादी मांगेराम पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम हिलवाड़ी थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-विशाल उर्फ कालू पुत्र प्रमोद, 2-वैभव पुत्र प्रमोद निवासीगण ग्राम हिलवाड़ी थाना बडौत जनपद बागपत, 3-रामबाबू पुत्र राम सिंह ग्राम हेवा थाना छपरौली, 4-भूरा उर्फ प्रदुमन पुत्र सरदार सिंह व 5-रामकुमार पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम हिलवाड़ी थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर उसके भाई कृष्णपाल पुत्र श्रीचन्द की गोली मारकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों 1.विजय उर्फ काशी पुत्र सर्वोत्तम निवासी ग्राम हिलवाड़ी थाना बडौत, 2.मोनू पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी कलंजरी थाना जानी जनपद मेरठ व 3.विपिन भगोटा पुत्र आखेराम निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये थे ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधो की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि में वाँछित 02 अभियुक्तों विशाल उर्फ कालू व रामबाबू को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे/निशादेही पर घटना में प्रयुक्त (आलाकत्ल) 02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है ।

नोट – थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. विजय उर्फ काशी पुत्र सर्वोत्तम नि0 ग्राम हिलवाड़ी थाना बडौत, 2. मोनू पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी कलंजरी थाना जानी जनपद मेरठ, 3. विपिन भगोटा पुत्र आखेराम निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत, 4. भूरा उर्फ प्रदुमन पुत्र सरदार



सिंह, 5. वैभव पुत्र प्रमोद निवासीगण ग्राम हिलवाड़ी थाना बडौत जनपद बागपत को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-विशाल उर्फ कालू पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम हिलवाड़ी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-रामबाबू पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उर्फ कालू का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
2. मु0अ0स0 851/23 धारा 307/353/224 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त रामबाबू का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2.मु0अ0स0 109/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3.मु0अ0स0 178/19 धारा 147/323/354/354ख/452/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4.मु0अ0स0 453/19 धारा 323/504/506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 5.मु0अ0स0 मु0अ0स0 348/21 धारा 3/10 गुण्डा अधि0 थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त के साथ पुलिस मुठभेड-

थाना बडौत पुलिस अभियुक्त विशाल उर्फ कालू की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक तमंचा व कारतूस बरामद करने के लिए अभियुक्त के बताए गये स्थान हिलवाड़ी के जंगल में गई थी। निशादेही पर एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद होने के उपरान्त मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त विशाल उर्फ कालू द्वारा मुख्य आरक्षी मोहित कुमार की पिस्टल छीनकर भागते हुए मुख्य आरक्षी मोहित कुमार के ऊपर फायर किया गया, जिसमें मुख्य आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए बाद पुलिस मुठभेड अभियुक्त विशाल उर्फ कालू को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त के कब्जे से छीनी हुई पिस्टल व 09 जिन्दा कारतूस बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 संजय कुमार शर्मा थाना बडौत।
- 2-व0उ0नि0 महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत।
- 3-उ0नि0 महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत।
- 4-है0का0 213 मोहित कुमार थाना बडौत।
- 5-है0का0 572 पुष्पेन्द्र सिंह थाना बडौत।
- 6-का0 525 महेश कुमार थाना बडौत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 27.11.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 305/23 धारा 363/120बी भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 23.11.2023 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी धर्मवीर सिंह पुत्र भुल्लन सिंह निवासी ग्राम हजुराबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.निशांत पुत्र रणवीर सिंह, 2.रणवीर पुत्र ओमप्रकाश, 3.विक्रांत पुत्र रणधीर व 4.सत्यम उर्फ वंशु पुत्र विक्रांत निवासीगण ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वादी के धेवते नक्ष्य को गाडी में डालकर अपहरण कर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 305/23 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 305/23 धारा 363/120बी भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सत्यम उर्फ वंशु पुत्र विक्रांत निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-का0 266 रघुवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 27.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 904/23 धारा 377 भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 904/23 धारा 377 भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रितिक पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- का0 1038 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 27-11-2021

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 191/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से ट्रैक्टर से चोरी की हुई लोहे की 02 पटली बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.11.21 को थाना बालैनी पर वादी हरवीर पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त रिकू पुत्र कलुआ निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वादी व रमेश पुत्र रामकिशन, वहीद पुत्र मीरु व विनोद पुत्र कलुआ निवासीगण ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत के ट्रैक्टर से लोहे की पटली चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 191/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 191/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ट्रैक्टर से चोरी की हुई लोहे की 02 पटली बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिकू पुत्र कलुआ निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- लोहे की 02 पटली ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 185/18 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 33/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 191/23 धारा 379/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-है0का0 351 पवन कुमार नागर चौकी प्रभारी हिण्डन थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3- है0का0 271 मुकेश कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-27.11.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान सट्टा खेलते समय 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 सट्टा पर्चा, 01 पैस तथा 555 रुपये नकद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सट्टा खेलते समय 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 02 सट्टा पर्चा, एक पैस तथा 555 रुपये नकद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 333/2023 धारा 13जी एक्ट(सट्टा) बनाम वीरेन्द्र पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वीरेन्द्र पुत्र निरंजन वर्ष निवासी ग्राम तमेलगाढी थाना दोघट जनपद बागपत ।



बरामदगी का विवरण-

- 02 पर्चा सट्टा ।
- एक पैस ।
- 555 रुपये नकद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि0 श्री अखिलेश यादव थाना दोघट ।
- 2-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना रमाला

दिनांक 27.11.2023

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

शकील पुत्र इकरामूद्दीन निवासी अशरफाबाद थल
थाना रमाला जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 263 मौ0 आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 537 चन्द्रवीर थाना रमाला जनपद बागपत ।